उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार
UTTARAKHAND SANSKRIT UNIVERSITY, HARIDWAR
बहादराबाद, हरिद्वार–दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग,
HARIDWAR-DELHI NATIONAL HIGHWAY
पो0–बहादराबाद (हरिद्वार) 249402
P.O. : BAHADARABAD (HARIDWAR)-249402
E-mail : registrar@usvv.ac.in Website : www.usvv. ac.in

विज्ञापन संख्या–02/2024 दिनांक 13 सितम्बर, 2024

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार के लिए शासन द्वारा सृजित निम्नांकित पदों पर चयन के लिए अर्ह अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र दिनांक 21 अक्टूबर, 2024 सांय 5.00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं :–

(क) शोध अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्ति हेतु :–

क्र. सं.	पदनाम एवं आयु सीमा	सातवे वेतन मैट्रिक्स के अनुसार लेवल	पदों की सं.	अनारक्षित	अ.जाति	अ. जा. जाति	अ.पि. वर्ग	शैक्षिक अर्हता
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	शोध अधिकारी आयु सीमा 18 से 42 वर्ष	लेवल–10	1	1	0	0	0	(1) अनिवार्य 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55 प्रतिशत अंक अथवा 07 स्केल ग्रेड के साथ(जहां ग्रेडिंग व्यवस्था लागू है) आचार्य/स्नातकोत्तर अथवा समकक्ष डिग्री। 2. शोध, गतिविधियों का संयोजन करना, शैक्षणिक समारोह का आयोजन करना, संगोष्ठी, कार्यशाला, सम्मेलन इत्यादि की क्षमता हो। अधिमानी अर्हतायें:– अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने;– (i) पीएच.डी.। (ii) विश्वविद्यालय में अकादमिक एवं प्रशासनिक कार्य करने का अनुभव प्राप्त किया हो। (iii) विश्वविद्यालय में शोध अधिकारी (नियमित/तदर्थ/अंशकालिक/आउटसोर्सिंग) के पद पर 05 वर्ष अथवा उससे अधिक कार्य करने का अनुभव प्राप्त किया हो।

आयु में छूट :—

1. आरक्षित वर्ग को उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार छूट प्रदान की जायेगी।
2. यदि किसी अभ्यर्थी ने शोध अधिकारी के पद पर (नियमित/तदर्थ/अंशकालिक/आउटसोर्सिंग रूप में कार्य किया है) तो उसे अधिकतम 05 वर्ष अथवा जितने वर्ष का अनुभव हो, छूट प्रदान की जा सकती है।

नियुक्ति की प्रक्रिया :—

(i) विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञप्ति निर्गत की जाएगी तथा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जायेंगे।
(ii) यदि अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है तो स्क्रीनिंग परीक्षा भी आयोजित की जा सकती है।
(iii) स्क्रीनिंग के उपरान्त अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा अथवा बिना स्क्रीनिंग किये अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जा सकता है।
(iv) साक्षात्कार में सफल अभ्यर्थी को सभी अर्हतायें पूर्ण करने पर नियुक्ति हेतु बुलाया जायेगा/विचार किया जायेगा।

(ख) निजी सचिव मा. कुलपति एवं आशुलिपिक (वैयक्तिक सहायक) के पद पर सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्ति हेतु —

क्र. सं.	पदनाम एवं आयु सीमा	सातवे वेतन मैट्रिक्स के अनुसार लेवल	पदों की सं.	अनारक्षित	अ.जाति	अ.ज. जाति	अ.पि. वर्ग	शैक्षिक अर्हता
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	निजी सचिव, मा. कुलपति आयु सीमा 21—42 वर्ष	लेवल—6	1	1	0	0	0	(क) शैक्षिक अर्हताएंः— विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि के साथ हिन्दी में 80 शब्द प्रति मिनट की आशुलिपिक गति और हिन्दी टंकण में कम्प्यूटर पर 4000 की—डिप्रेशन प्रति घण्टा न्यूनतम गति। (ख) अधिमानी अर्हताएंः— अंग्रेजी आशुलेखन का ज्ञान, संस्कृत एवं अंग्रेजी में कम्प्यूटर टंकण का ज्ञान।
2.	आशुलिपिक/ वैयक्तिक सहायक आयु सीमा 18—42 वर्ष	लेवल—4	2	1	1	0	0	(क) शैक्षिक अर्हताएंः— उत्तरप्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् अथवा उत्तराखण्ड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो, के साथ—साथ हिन्दी आशुलेखन में न्यूनतम गति 80 शब्द प्रति मिनट तथा कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 4000 की—डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एक वर्षीय कम्प्यूटर पाठ्यक्रम उत्तीण होना अनिवार्य अर्हता होगी। (ख) अधिमानी अर्हताएंः— संस्कृत एवं अंग्रेजी में कम्प्यूटर टंकण का ज्ञान।

<u>आयु में छूट :–</u>

1. आरक्षित वर्ग को उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार छूट प्रदान की जायेगी।

<u>चयन प्रक्रिया :–</u>

(i) लिखित परीक्षा 100 अंको की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with Multiple Choice) की दो घण्टे की होगी, जिसमें निम्नानुसार प्रश्न होंगे।

1. 15 प्रश्न उत्तराखण्ड के सामान्य ज्ञान सम्बन्धी।
2. 25 प्रश्न सामान्य विज्ञान, भूगोल, इतिहास, महानविभूतियों, समसामयिक, खेलकूद, राजनैतिक, सामाजिक, घटनाक्रम शिक्षा व विश्वविद्यालयों सम्बन्धी तथा सामान्य संस्कृत व हिन्दी भाषा सम्बन्धी।
3. 30 प्रश्न आशुलेखन शब्दावली एवं ज्ञान पर आधारित।
4. 30 प्रश्न कम्प्यूटर डाटा एन्ट्री, कम्प्यूटर ज्ञान सम्बन्धी।

(ii) निजी सचिव, मा. कुलपति एवं आशुलिपिक पद के लिये निर्धारित आशुलिपि व कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

नोटः–

1. लिखित परीक्षा प्रश्न–पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा।
2. अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट, परीक्षा के पश्चात् अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।
3. लिखित परीक्षा की उत्तर शीट (Answer Sheet) कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट (Duplicate) में होगी तथा द्वितीय प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।
4. गलत उत्तरों के लिए दण्ड– वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जायेगाः–

   (क) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प उत्तर है। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का एक चौथाई दण्ड रूप में काटा जायेगा।

   (ख) प्रत्येक प्रश्न का यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यदि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार ही उसी तरह दण्ड दिया जायेगा।

   (ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।

   (घ) ओ.एम.आर शीट में व्हाइटनर का उपयोग या विकल्पों को खुरचने/छेडछाड़ के लिए भी ऋणात्मक अंक दिया जाएगा।

   (ङ) अभ्यर्थी अपनी ओ.एम.आर शीट में गलत रोल न. अथवा बुकलेट सीरिज डालता है तो उसकी ओ.एम.आर. शीट का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी का आवेदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

(ग) <u>उपरोक्त सीधी भर्ती के सभी पदों के लिए अन्य महत्वपूर्ण निर्देश :–</u>

1. अभ्यर्थी का नाम उत्तराखण्ड के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी द्वारा उत्तराखण्ड का मूल/स्थायी निवास होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
2. आवेदन–पत्र स्वीकार किए जाने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के पास अनिवार्य अर्हता धारित करना आवश्यक है। अन्तिम तिथि के बाद की अर्हता स्वीकार नहीं होगी।
3. किसी प्रकार की सिफारिश/दबाव को अयोग्यता सूचक माना जायेगा।
4. आवेदन–पत्रों के डाक द्वारा विलम्ब होने अथवा गुम होने का दायित्व विश्वविद्यालय का नहीं होगा।
5. सभी मूल प्रमाण–पत्रों की छायाप्रतियां एवं छायाचित्र/फोटो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अथवा स्वप्रमाणित प्रमाणित होनी आवश्यक है।
6. परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अन्तिम होगा यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि कोई अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी अर्ह नहीं था/थी अथवा आवेदन पत्र निरस्त होना चाहिए था तो विश्वविद्यालय को अधिकार होगा कि उसका अभ्यर्थन किसी भी स्तर पर निरस्त कर दिया जाये।
7. विश्वविद्यालय को नियुक्ति प्रक्रिया निरस्त करने या आगे बढ़ाने या स्थगित करने का पूर्ण अधिकार होगा।
8. साक्षात्कार/लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकेंगे। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति विश्वविद्यालय वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।
9. केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा किसी अन्य संस्था/विभाग के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को अपने सेवा नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
10. लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में आवेदित पदनाम व विज्ञापन संख्या का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
11. अभ्यर्थी की अर्हता तथा अन्यथा के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।
12. एक लिफाफे में एक से अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र प्राप्त होन पर सभी आवेदन निरस्त कर दिये जायेगें।
13. आशुलिपिक के पद हेतु आवेदन शुल्क (अनारक्षित वर्ग हेतु रू. 700/– मात्र तथा अनुसूचित जाति वर्ग हेतु रू. –400/–मात्र) विश्वविद्यालय में *डिमाण्ड ड्राफ्ट वित्त अधिकारी उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार* के नाम देय होगा।
14. अन्तिम तिथि के बाद आवेदन–पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अपेक्षित सूचनाओं से रहित अपूर्ण आवेदन–पत्र तथा ऐसे आवेदन–पत्र जिस पर अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर नहीं है, समय से प्राप्त होने के बावजूद निरस्त कर दिये जायेंगे। बिना निर्धारित शुल्क/निर्धारित शुल्क से कम शुल्क वाले आवेदन–पत्र भी अस्वीकार कर दिये जायेंगे। इस सम्बन्ध में सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर जारी कर दी जायेगी। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।
15. चरित्र प्रमाण–पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा मान्य होगा।
16. अभ्यर्थी प्रत्येक पद के लिए पृथक्–पृथक् आवेदन कर सकता है।
17. सीधी भर्ती हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेशों के आधार पर अनुमन्य होगा।
18. केन्द्र या राज्य सरकार अथवा किसी अन्य संस्था/विभाग द्वारा पदच्युत अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।
19. ऐसे अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जिनकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो, या महिला जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी हो।
20. परीक्षा की तिथि कार्यक्रम, समय तथा केन्द्रों के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित प्रवेश पत्रों के माध्यम से सूचना विश्वविद्यालय वेबसाइट पर दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी, परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।

21. नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा।
22. आवेदन शुल्क किसी भी दशा में वापस नही किया जायेगा।
23. किसी दशा में वाद होने की स्थिति में वाद हरिद्वार में ही मान्य होगा।

कुलसचिव